(21)

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 2–3–16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 3691–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर जबलपुर प्रकरण कमांक 44/अ–6/12–13.

"विनोद कुमार सोनकर"
आयु- 65 वर्ष लगभग पिता स्व0 श्री बड़कू भैया
उर्फ हीरामन सोनकर निवासी- म0न0 226,
अच्छेलाल सोनकर पूर्व विधायक के घर के सामने
भरतीपुर जबलपुर (म.प्र.) —— पुनरीक्षणकर्ता

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ...
20 OCT 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरुद्ध

श्रीमति किरण बाई सोनकर " आयु- 47 वर्ष
पति श्री माखन सोनकर निवासी- म0न0 414/1,
राधा कृष्णा वार्ड विकास बुडकुल इण्डस्ट्रीज के बाजू में
थाना, हनुमानताल जबलपुर (म.प्र.)
—— उत्तरार्थी

560

02.3.16

प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 44/अ–6/12–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–9–15 के विरूद्ध पेश की गई है । अनावेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 9–12–15/14–12–15 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील कमांक 268/अ–6/15–16 पेश की जा चुकी है जो अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–1–16 को ग्राह्य की जा चुकी है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी निरर्थक हो गई है और उसे चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है । परिणामतः इसी स्तर पर निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों ।

सदस्य